

राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण – एक परिदृश्य

राजमोहन सोनी*
डॉ. आर के दुलार**

सार

“पुरुष और महिला-समाज निर्माण के दो परस्पर पूरक तत्त्व हैं। प्राचीन काल में भारतीय महिला की भूमिका घर, परिवार व समाज में पुरुषों के बराबर ही नहीं श्रेष्ठ थी। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया और महिलाओं की सम्पूर्ण आर्थिक व सामाजिक जीवन यापन दूसरों पर निर्भर करने लगा। आज विशेष तौर से स्वतन्त्रता व आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय व राजस्थान की महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सर्वत्र एक ही विचाराधीन बिन्दु है कि महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाये। वह आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दृष्टिकोण से सशक्त कैसे हो सके, इस पर ध्यान आकर्षित होने लगा है। जिसमें केन्द्रीय व राज्य सरकारें एवं निजी सहायता समूह ग्रुप बड़े ही सक्रिय रूप से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तथा समाज में हो रहे तीव्र सोच के बदलाव के कारण आज महिलाएँ आर्थिक व सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की मुख्य धारा की ओर उन्मुख हो रही हैं।”

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा

महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय प्रत्यक्ष रूप से यह कि महिलाओं को हर क्षेत्र में सशक्त व सक्षम बनाया जाये। इसीलिए यह कहा गया है कि यदि महिलाओं का विकास व सशक्तिकरण करना है, तो सर्वांगीण विकास की अवधारणा के तहत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक आदि हर स्तर पर विकास करना होगा। वहीं उनमें स्वयंसिद्ध निर्भरता, आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान एवं निडरता का भाव विकसित करना होगा। जिससे महिला अधिक प्रभावी ढंग से पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ-साथ अन्य भूमिका का संवर्द्धन भी अच्छे ढंग से कर सकेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य कौशलता में अभिवृद्धि होगी एवं निर्भय व स्वतन्त्र होकर अत्याचारों के विरुद्ध उन्मुक्त होकर आवाज उठा सकेगी एवं अपने विचारों को व्यक्त भी कर सकेंगी।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका पूर्व की अपेक्षा चुनौतिपूर्ण हो चुकी है। हालांकि आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संविधान में प्रावधान, संशोधन, समान अधिकार, महिला आयोगों की स्थापना, चुनाव में आरक्षण, महिला उत्पीड़न रोकने के कानून एवं राज्य केन्द्रीय सरकार की विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं के बावजूद भी आज समाज में महिलाओं को सम्मान का स्थान प्राप्त नहीं है। आज भी पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हैं, तो दूसरी ओर सामाजिक कुरृतियों यथा दहेज, बाल विकास, लिंग भेद, असमान अवसर, शारीरिक व मानसिक शोषण जैसी सामाजिक बुराईयों विद्यमान हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ इन समस्याओं से ज्यादा ग्रसित हैं। इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य इन कुरृतियों को दूर करते हुए महिलाओं का सर्वांगीण सशक्तिकरण करना है।

* शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध (ई.ए.एफ.एम.) विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

** सह आचार्य, आर. एल.एस पी.जी.राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर, राजस्थान।


महिलाओं का सशक्तिकरण

अब सवाल यह उठता है कि महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सशक्तिकरण, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं का कैसे किया जाये? प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए दो स्तरों पर प्रयास किया गया है। प्रथम केन्द्रीय व राज्य सरकार की महिला कल्याण योजनाओं के द्वारा एवं द्वितीय सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव के द्वारा।

• प्रथम राज्य व केन्द्रीय सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाएँ –

■ **केन्द्रीय सरकार की योजनाएँ** – महिलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतन्त्र विभाग की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत “महिला व बाल विकास विभाग” की स्थापना की गई। यह विभाग योजनाओं व नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन, कार्यक्रम, विधान आदि का निर्माण कर सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से महिला विकास सशक्तिकरण का कार्य करता है। महिलाओं की आर्थिक समृद्धि हेतु कल्याण व सहृदयता, रोजगार व प्रशिक्षण के साथ-साथ सामाजिक व राजनीतिक उन्मयन के लिए जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत राज व ग्रामीण विकास के पूरक कार्य की भूमिका भी अदा करता है।

सरकारी योजनाएँ



केन्द्रीय व राज्य सरकारों ने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं। वर्तमान में केन्द्रीय सरकार की 147 व राज्य सरकारों द्वारा 195 योजनाएँ चला रही हैं, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से सशक्त करने का प्रयास कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएँ इस प्रकार हैं:-

■ **केन्द्रीय सरकार की योजनाएँ** – महिला शक्ति केन्द्र, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, महिला समाख्या योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला अधिकारिता योजना, रोजगार व प्रशिक्षण, स्वावलम्बन, स्वयंसिद्ध, स्वशक्ति, घरेलु उत्पादन बिल, स्वायत्तशासी संगठन, बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ, One stop Sakhi center, RUSA, NMSA, ISAM, NMOOP, MNNS, NFSC, MIDH, PMAY, MGNREGA, WMHS, SPMRM, DDU-GKY, TDUPW, VCS etc.

■ **राजस्थान सरकार की योजनाएँ** – राजस्थान में महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु प्रारम्भिक रूप से 1984 में यूनिसेफ की सहायता से 14 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये। वर्तमान में बालिका शिक्षा फाउण्डेशन (1995), राज लक्ष्मी बाण्ड (1995), स्वयंसिद्धा (1995), किशोरी शक्ति योजना (1997), कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना (1997), गार्गी पुरस्कार योजना (1998), बालिका समृद्धि योजना (1998), संकलित मातृत्व लाभ योजना (2000), महिला प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम (2000), प्रियदर्शनी अवार्ड (2001), साथिन और पालनहार योजना, मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना, बाल वाहिनी योजना, जननी सुरक्षा योजना (2005), बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ योजना (2007), माँ राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना (2011) आदि मुख्य योजनाएँ राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में चलाई जा रही हैं।

• द्वितीय-महिला सशक्तिकरण हेतु सामाजिक सोच में बदलाव

सामाजिक सोच का महिलाओं की दशा और दिशा पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। प्राचीन की एक युक्ति “जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं”, ने नारी को समाज में उच्च स्थान प्रदान किया है। वहीं मध्य युग की इस युक्ति ने ‘नारी ताड़न की अधिकारी’ में महिलाओं को घर की चारदिवारी में कैद करके रख दिया है। मानसिक तौर पर आज भी भारत व राजस्थान में पुरुष प्रधान समाज है। इसी मानसिक कमजोरी का परिणाम है कि हम केवल पुरुष ही नहीं, स्वयं महिलाएँ भी अन्य महिलाओं को हीन समझकर उन पर अत्याचार करने में अहम् भूमिका निभाती हैं। जो केवल नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। अतः यदि आज महिलाओं को प्रथम श्रेणी का दर्जा प्रदान करना है और विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है, तो दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी महिला सशक्तिकरण अभियान सफल होगा।

शोध सर्वेक्षण

राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की वर्तमान दशा व दिशा पर एक शोध सर्वेक्षण, उक्त वर्णित महिला सशक्तिकरण के प्रथम व द्वितीय बिन्दु के सन्दर्भ में किया गया है, जिसमें विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। 70 महिला उत्तरदाताओं का चयन राजस्थान के सात सम्भागों में से 10, 10 का चयन दैव निर्देशन विधि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से किया गया है, जिससे केवल 3 प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर निष्कर्ष निकाले गये हैं।

(1) क्या आप महिला सशक्तिकरण एवं योजनाओं के बारे में जानती हैं।

तालिका 1: उत्तरदाताओं की जानकारी

क्र.सं.	जानकारी	महिला उत्तरदाता संख्या	प्रतिशत
1.	नहीं	38	54.28
2.	सामान्य	22	31.43
3.	अधिक	08	11.43
4.	अत्यधिक	02	2.86
	योग	70	100.00

स्रोत – शोध सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिका के शोध सर्वेक्षण से यह सिद्ध होता है कि जिस महिला सशक्तिकरण की बात आज हम जोर-शोर से कर रहे हैं, उस महिला वर्ग में ग्रामीण महिलाओं के 54.28 प्रतिशत भाग को तो महिला सशक्तिकरण व इसके लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी तक नहीं है। 31.43 प्रतिशत महिलाओं को इसकी सामान्य जानकारी है। जो इन योजनाओं का लाभ ले रही हैं। लगभग 14 प्रतिशत सम्भ्रांत परिवारों की महिलाएँ ही इसका लाभ ले रही हैं।

क्या महिला सशक्तिकरण से महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दृष्टि से सशक्त हुई हैं?

तालिका 2: प्रगति के प्रति उत्तरदाताओं का विचार

क्र.सं.	स्तर	उत्तरदातों की संख्या एवं प्रतिशत					
		आर्थिक सशक्तिकरण संख्या	प्रतिशत	सामाजिक सशक्तिकरण संख्या	प्रतिशत	राजनैतिक सशक्तिकरण संख्या	प्रतिशत
1.	नहीं	18	25.71	11	15.71	28	40.00
2.	सामान्य	37	52.86	36	51.43	28	40.00
3.	अधिक	10	14.29	17	24.29	09	12.86
4.	अत्यधिक	05	7.14	06	8.57	05	7.14
	योग	70	100.00	70	100.00	70	100.00

स्रोत – शोध सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिकानुसार 25.71 प्रतिशत ने आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है बताया है, जबकि 52.86 ने सामान्य परिवर्तन बताया है। अर्थात् लगभग 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण आया है, यह स्वीकार किया है। लगभग 84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना कि समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। हालांकि 51.43 ने सामान्य परिवर्तन को ही स्वीकारा है। 60 प्रतिशत ने महिलाओं के राजनैतिक क्षेत्र में सशक्तिकरण को भी स्वीकार किया है। जबकि 40 प्रतिशत ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया है।

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों से सामाजिक सोच में बदलाव आया है।

तालिका 3: सामाजिक सोच में परिवर्तन

क्र.सं.	परिवर्तन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	नहीं	19	27.14
2.	सामान्य	41	58.57
3.	अधिक	07	10.00
4.	अत्यधिक	03	4.29
	योग	70	100.00

स्रोत – शोध सर्वेक्षण के आधार पर

उपरोक्त तालिकानुसार 27.14 प्रतिशत ने यह माना कि आज भी सामाजिक सोच में परिवर्तन नहीं हुआ है। 58.57 प्रतिशत ने सामान्य परिवर्तन को स्वीकार किया है। केवल 14.29 प्रतिशत ने अधिक व अत्यधिक सोच परिवर्तन को स्वीकार किया है।

निष्कर्ष (Findings)

- स्वतंत्रता के बाद एवं विशेष तौर से आर्थिक सुधारों के बाद राजस्थान में महिलाओं की दशा व दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आया है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में सकारात्मक परिवर्तन की गति धीमी रही है।
- राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के केन्द्रीय योजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया परन्तु 55 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गयी व लागू की गई योजनाओं की जानकारी ही नहीं है।
- प्रस्तुत अध्ययन में महिला सशक्तिकरण के प्रथम प्रयास से यह उभर कर अया है कि सरकारी योजनाओं से क्रमशः 74, 84 व 60 प्रतिशत ने क्रमशः आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सशक्तिकरण हुआ है, परन्तु उपरोक्त परिवर्तन का स्तर सामान्य है। इसका अधिक लाभ पूर्व से सम्पन्न परिवारों की महिलाओं ने ही प्राप्त किया है।
- सकारात्मक सामाजिक सोच विकास का महत्वपूर्ण आधार है। राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने, समान अधिकार व सम्मानपूर्वक प्रथम श्रेणी का दर्जा प्रदान करने के लिए सोच लगभग 72 प्रतिशत ने परिवर्तन को स्वीकार किया है, परन्तु 59 प्रतिशत ने गति को सामान्य व धीमी माना है।
- राज्य व केन्द्रीय सरकार की महिला विकास योजनाएँ तथा कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन एवं समयबद्ध मूल्यांकन के साथ-साथ समाज की सकारात्मक सोच में परिवर्तन भी शिक्षा व संस्कारों के माध्यम से लाना होगा।

सुझाव

- नव-प्रवर्तन के इस युग में महिलाओं की समस्या व समाधान पर ध्यान दिया जा रहा है परन्तु विद्यमान चुनौतियों को ध्यान में रखकर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा व जागरूकता बढ़ानी होगी, ताकि महिला सशक्तिकरण की योजनाओं से सुपरिचित हो सके और उनका पूरा-पूरा लाभ उठा सके।
- महिलाओं को सामाजिक सशक्तिकरण की अधिक आवश्यकता है ताकि महिलाएँ सामाजिक रूढ़िवादी परम्पराओं, अन्धविश्वासों व कुरूपियों से लड़कर समाज में प्रथम श्रेणी की ऊर्जा प्राप्त करते हुए दोहरी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो सके।
- ग्रामीण महिलाओं में राजनैतिक सशक्तिकरण की गति बहुत धीमी है। अतः राजनैतिक आरक्षण व राजनैतिक जागरूकता के साथ-साथ राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया जाना आवश्यक है।
- महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सोच में बदलाव लाना अति आवश्यक है। महिलाओं को सम्मान देने की आदत डालनी होगी। लड़के व लड़की के भेदभाव को मिटाना होगा। समानता के अधिकार से आगे बढ़ना होगा।
- महिला उत्पीड़न व अत्याचार के लिए पर्याप्त कानून बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित करना होगा ताकि अहंकार को रोका जा सके।
- महिला विकास के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों व स्वयं सहायता समूहों को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

- ⇒ चनादुरई. आर. (2005) वूमन इन्टरप्रकौरशिप एण्ड सर्विस सेन्टर, कुरुक्षेत्र वा. 54 नं. 1 नवम्बर (2005).
- ⇒ बनर्जी अनिता, (1999), वूमन एण्ड इकॉनॉमिक डवलपमेन्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- ⇒ ओझा, आर. के. (2000) एवम् सहायता समूह और ग्रामीण रोजगार योजना, मई, 2000
- ⇒ चौधरी सी. एम. एण्ड आर. एम. शर्मा (2010), ग्रामीण विकास एवं सहभारिता, शिव बुक हाऊस, जयपुर
- ⇒ कोर सतनाम (1985), वूमन इज सरल डवलपमेन्ट, मित्तल पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- ⇒ चौहान भोमसिंह (2011), राजस्थान के पंचायती राज में महिलाओं का योगदान, अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर
- ⇒ मेहरा आशा रानी, (2003) भारतीय नारी – दशा व दिशा, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
- ⇒ सूजस, वार्षिकी (2015), राजस्थान सरकार, जयपुर।

